

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
गाजियाबाद ।

विषय:- जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई-टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद गाजियाबाद में अव्यवस्थित 76 देशी शराब, 13 विदेशी मदिरा एवं 07 बियर की फुटकर दुकानें जिनका चतुर्थ चरण तक व्यवस्थापन नहीं हो पाया है, का वर्ष 2018-19 की शेष अवधि हेतु पाँचवें चरण का व्यवस्थापन ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अनुसार व्यवस्थापन कराया जाना प्रस्तावित है ।

इस हेतु **टैक्निकल बिड दिनांक 18.06.2018 को प्रातः 10.00 बजे एवं फाइनैसियल बिड दिनांक 19.06.2018 को अपरान्ह 14.00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार गाजियाबाद में खोली जायेगी ।**

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 18.06.2018 व दिनांक 19.06.2018 को आप स्वयं उपस्थित रहने का कष्ट करें तथा उक्त तिथियों को टैक्निकल बिड एवं फाइनैसियल बिड प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से पूर्व कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर एवं सभा कक्ष पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था भी कराने का कष्ट करें ।


भवदीया,

(रितु माहेश्वरी)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद ।

संख्या 364/2-5 / तदीदिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथियों पर उपस्थित रहकर टैक्निकल बिड एवं फाइनैसियल बिड अपनी देखरेख में सुनिश्चित करायें ।
- 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि पाँचवें चरण को होने वाली ई-टेण्डरिंग को सम्पन्न कराये जाने हेतु समस्त तकनीकी व्यवस्था को पूर्ण कराया जाना एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञापन को भी जनपद गाजियाबाद वेब-साईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ।
- 3- प्रभारी अधिकारी (नजारत) कलेक्ट्रेट गाजियाबाद / नाजिर सदर को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 18.06.2018 एवं 19.06.2018 को होने वाली टैक्निकल बिड एवं फाइनैसियल बिड निर्धारित समय पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में होगी, कृपया सभा कक्ष में समुचित व्यवस्था कराने का कष्ट करें ।
- 4- आशुलिपिक-जिलाधिकारी गाजियाबाद को उक्त तिथियों को दैनिक कार्यक्रम सारणी में अंकित करें ।


जिलाधिकारी,
गाजियाबाद ।